

न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना

पीठासीन अधिकारी- उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 2017/178

दायर दिनांक 01.07.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. खांगाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी ढिंगाल तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. गोमाराम पुत्र पेमाराम 2. केसाराम पुत्र पेमाराम 3. गोपाल पुत्र मोहनराम 4. महेन्द्रसिंह पुत्र खांगाराम 5. राजेन्द्र पुत्र खांगाराम 6. श्रवणराम पुत्र गोमाराम समस्त जाति जाट निवासी ढिंगाल तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 7. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी व बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,

उपस्थित :-

1. वादी उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण उपस्थित।


—:: निर्णय ::—

दिनांक- 24.01.2018

वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खं. न. 124 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, खं. न. 130 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खं. न. 133 रकबा 31 बीघा 04 बिस्वा, कुल रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा वाकै शरहद बेडवा एवं खं. न. 473/184 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा वाकै शरहद बेडवा व खं. न. 04 रकबा 14 बीघा खं. न. 11 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा खं. न. 79 रकबा 05 बीघा खं. न. 84 रकबा 32 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा खं. न. 80 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा खं. न. 85 रकबा 22 बीघा 06 बिस्वा कुल रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा खं. न. 01 रकबा 27 बीघा 09 बिस्वा वाकै शरहद ढिंगाल में अवस्थित है।

वादी व प्रतिवादीगण उपर वर्णित खेतों में अलग-अलग काश्त करते हैं व मौके पर बन्टवारा हो चुका है उसी अनुसार काबिज है।

मौके पर निम्ननुसार खेत आये हुए हैं व काबिज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के बन्ट व कब्जे काश्त आई भूमि यह है कि वादी के खेत खसरा नम्बर 84 में से 11 बीघा 04 बिस्वा वाकै शरहद


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

ढिगाल व खसरा नम्बर 01 में से उत्तर की तरफ मे से 13 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 04 मे से पश्चिम की 04 बिस्वा भूमि व वादी व प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के खसरा नम्बर 85 मे से 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि बन्ट व कब्जे काश्त मे है।

प्रतिवादी गोमाराम के बन्ट व कब्जे काश्त खसरा न0 133 मे से 10 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाकै शरहद बेडवा व ख. न. 79 में से 05 बिस्वा भूमि ख. न. 84 में से 08 बीघा 15 बिस्वा भूमि ख0 न0 04 में से पुर्व की 13 बिस्वा भूमि वाकै शरहद ढिगाल खसरा नम्बर 473/184 में से 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाकै शरहद बेडवा वादी व प्रतिवादी संख्या 06 के खसरा नम्बर 80 में से 02 बीघा भूमि बन्ट व कब्जे काश्त मे आई है।

प्रतिवादी केशाराम के बन्ट व कब्जे काश्त में आई भूमि खेत ख. न. 84 में से 11 बीघा 15 बिस्वा, ख. न. 85 में से 09 बीघा 19 बिस्वा, ख. न. 80 में से 15 बिस्वा कुल रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा ख. न. 01 में से दक्षिणी भाग में से 13 बीघा 17 बिस्वा वाकै शरहद ढिगाल व ख. न. 473/184 में से 05 बीघा 10 बिस्वा वाकै शरहद बेडवा में बन्ट व कब्जा काश्त में आयी है।

प्रतिवादी गोपाल के बन्ट व कब्जे काश्त में आई भूमि खेत ख. न. 124 में से 03 बीघा 06 बिस्वा, ख. न. 130 में से 01 बीघा 09 बिस्वा, ख. न. 133 में से 19 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा व ख. न. 473/184 में से 05 बीघा 10 बिस्वा वाकै शरहद बेडवा में बन्ट व कब्जा काश्त में आयी है। ख. न. 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि सम्पुर्ण वाकै शरहद ढिगाल में बन्ट व कब्जा काश्त में आयी है।

ख. न. 85 किं दक्षिणी सीवं पर वादी के आवागमन हेतु उत्तर की दक्षिण की दिशा में चल रहे तिरछे कटाणी रास्ते में से आवागमन हेतु 20 फुट चौडाई का रास्ता रखा गया है।

खेत ख. न. 133 में से 18 बिस्वा वाकै शरहद बेडवा व ख. न. 84 में से 15 बिस्वा वाकै शरहद ढिगाल संयुक्त रखा गया है। ख. न. 133 में से वाकै शरहद बेडवा गोमाराम के हिस्से मे आयी भूमि व ख. न. 84 में गोमाराम, व केशाराम के मकान के सामने आवागमन हेतु 20 फुट का रास्ता रखा गया है। कुआ सिरोला है।

वादी व प्रतिवादीगण बन्टवारा करवाना चाहते है।


वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत बाबत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 न्याय आपके द्वार में उप. । वादी व प्रतिवादीगण बन्टवारा करवाना चाहते है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार सरहद बेडवा व ढिगाल के विवादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार है। तथा विधिवत बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे है। पक्षकारान सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानून हकदार है। जो तहसीलदार डीडवाना से बन्टवारा प्रस्ताव मगवाया गया।


तहसीलदार ने दिनांक 11.01.2018 को बन्टवारा प्रस्ताव पेश किया। जो पक्षकारान ने स्वीकार किया।

पक्षकारान को सूना गया। अतः वादी का वाद सादर डिकी किया जाता है।



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर खेत खं. न. 124 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, खं. न. 130 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खं. न. 133 रकबा 31 बीघा 04 बिस्वा, कुल रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा वाकै शरहद बेडवा एवं खं. न. 473/184 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा वाकै शरहद बेडवा व खं. न. 04 रकबा 14 बीघा खं. न. 11 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा खं. न. 79 रकबा 05 बीघा खं. न. 84 रकबा 32 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा खं. न. 80 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा खं. न. 85 रकबा 22 बीघा 06 बिस्वा कुल रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा खं. न. 01 रकबा 27 बीघा 09 बिस्वा वाकै शरहद ढिंगाल का बाईमीटस एण्ड बाउन्डस से बन्टवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के दिनांक 11.01.2018 का विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकारान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व खातेदार गोपाल के स्थान पर रामगोपाल दुरुस्त किया जाता है। दिनांक 11.01.2018 का विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहसहायक कलेक्टर
डीडवाना (मन्गौर)

निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहसहायक कलेक्टर
डीडवाना (मन्गौर)

डिगरी बमुकददमें इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्दा दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व चाद संख्या 2017/178


दायर दिनांक 01.07.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. खांगाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी ढिंगाल तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम	1. गोमाराम पुत्र पेमाराम 2. कैसाराम पुत्र पेमाराम 3. गोपाल पुत्र मोहनराम 4. महेन्द्रसिंह पुत्र खांगाराम 5. राजेन्द्र पुत्र खांगाराम 6. श्रवणराम पुत्र गोमाराम समस्त जाति जाट निवासी ढिंगाल तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 7. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी व बन्टवारा व स्थाई निपेघाजा,
दिनांक 24.01.2018


यह मुकददमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरु हमारे व हाजरी भिनजानिब मुददई श्री वादी व श्री, प्रतिवादीगण की ओर से मददायलह पेश होकर हुयम दिया जाता है कि हरव दावा डिक्री सादिर कर, खेत खं. न. 124 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, खं. न. 130 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खं. न. 133 रकबा 31 बीघा 04 बिस्वा, कुल रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा वाकै शरहद वेडवा एवं खं. न. 473/184 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा वाकै शरहद वेडवा व खं. न. 04 रकबा 14 बीघा खं. न. 11 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा खं. न. 79 रकबा 05 बीघा खं. न. 84 रकबा 32 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा खं. न. 80 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा खं. न. 85 रकबा 22 बीघा 06 बिस्वा कुल रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा खं. न. 01 रकबा 27 बीघा 09 बिस्वा वाकै शरहद ढिंगाल का बाईमीटस एण्ड वाउन्डस से बन्टवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के दिनांक 11.01.2018 का विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकारान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व खातेदार गोपाल के स्थान पर रामगोपाल दुरूस्त किया जाता है। दिनांक 11.01.2018 का विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... वाबत.....-.....
.....खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबा मेरे दस्ताख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 24.01.2018 को जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			थमजान		

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)